न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
46/2022	2022/084	22.04.2022	10.10.2022

उनवान प्रकरण

जयराम पुत्र सेडूराम आयु ... वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी टीबावाली तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादी अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 573, 577, 639, 640, 647, 660 ता 664, 695, 695/894, 699, 699/895 कुल किता 15 रकबा 8.77 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित हैं। जिसके 1/7 हिस्से की खातेदारी जयनारायण पुत्र सेडूराम के नाम अंकित है। उक्त खाता में वादी का नाम जयनारायण अंकित है, जो गलत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454, 455 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

10/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके 3/28 हिस्से की एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 0.71 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/6 हिस्से की खातेदारी जयरानारायण पुत्र सेडूराम के नाम अंकित है। उक्त खातो में वादी का नाम जयनारायण अंकित है, जो गलत है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.91 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्से की खातेदारी जैताराम पुत्र सेडूराम के नाम अकित है जो गलत हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.38 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/2 हिस्से की खातेदारी जैलाराम के नाम अंकित है जो गलत है। वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 5 में उक्त वर्णित भूमियां वादी की पैतृक भूमियॉ है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम जयराम है। वादी के नाम के उच्चारण की भिन्नता होने के कारण वादी का नाम जयनारायण एवं कई जगह जैताराम एवं कई जगह जैलाराम गलत दर्ज कर दिया गया है। वादी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक रिकार्ड में वादी का नाम जयराम सही दर्ज है जो सही एवं सत्य है। वादी को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम **जयराम** के स्थान पर **जयनारायण** व **जैताराम** व **जैलाराम** होने की जानकारी हुयी, तब वादी ने राजस्व कर्मचारियों को इस बाबत कहा तो उन्होने दिनांक 01.04.2022 को कोर्ट में दावा पेश करने को कहा। इस कारण दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही अंकित नहीं होने से वादी को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पड़ता हैं। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम जयराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जयनारायण, जैताराम, जैलाराम के स्थान पर जयराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने की घोषणा बाबत दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 3 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 573, 577, 639, 640, 647, 660 ता 664, 695, 695/894, 699, 699/895 कुल किता 15 कुल रकबा 8.77 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454, 455 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 0.71 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज रिकार्ड में गलत नाम जयनारायण के स्थान पर वादी का नाम जयराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जाने एवं इसी अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1.91 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज रिकार्ड में गलत नाम जेताराम के स्थान पर वादी का नाम जयराम दर्ज किये जाने व कृषि भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.38 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज रिकार्ड में गलत नाम जैलाराम के स्थान पर वादी का नाम जयराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमाये जाने का निवेदन करते हुए दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1720/भू.अ./2022 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। साक्ष्य वादी में वादी जयराम व वादी साक्ष्य गवाह में बालूराम पुत्र सेडूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पास बुक, सरपंच, ग्राम पंचायत हरदास का बास, खण्डेला द्वारा दिनांक 27.05.2022 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि मे भी वादी का नाम जयराम पुत्र सेडूराम ही अंकित होना प्रकट होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम ज[illegible] पुत्र सेडूराम, जैताराम पुत्र सेडूराम, जैलाराम पुत्र सेडूराम [illegible] में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि वादी का वास्तविक नाम [illegible]राम पुत्र सेडूराम होना रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

10/10/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम जयनारायण पुत्र सेडूराम, जैताराम पुत्र सेडूराम, जैलाराम पुत्र सेडूराम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत हरदास का बास के सरपंच की रिपोर्ट अनुसार जयनारायण पुत्र सेडूराम, जैताराम पुत्र सेडूराम, जैलाराम पुत्र सेडूराम तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होने बाबत अवगत कराया है। पटवारी हल्का बुर्जा की ढ़ाणी व सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास की रिपोर्ट के आधार पर जयनारायण पुत्र सेडूराम, जैताराम पुत्र सेडूराम, जैलाराम पुत्र सेडूराम के स्थान पर जयराम पुत्र सेडूराम जाति अहीर शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 457, 573, 577, 639, 640, 647, 660 ता 664, 695, 695/894, 699, 699/895 कुल किता 15 रकबा 8.77 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454, 455 कुल किता 3 कुल रकबा 1.23 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 0.71 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम जयनारायण के स्थान पर वादी का नाम जयराम दर्ज किया जावें एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.91 हैक्टर [illegible] ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज रिकार्ड में गलत नाम [illegible] के स्थान पर वादी का नाम जयराम दर्ज किया जावें एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 648 रकबा 0.38 हैक्टर तन् ग्राम नारे तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में दर्ज रिकार्ड में गलत नाम "जैलाराम"

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

के स्थान पर वादी का नाम "जयराम" घोषित किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/10/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.19 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested